204

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 रिव्यू..... I / 16

रतनसिंह पुत्र बाबूसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम नूरमपुरा तह0 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 .....आवेदक

बनाम

1– फूलसिंह 2–चिन्तेली 3–अमरसिंह 4–शोभाराम पुत्रगण बोबदी जाति काछी निवासी ग्राम मधन तह0 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 .....अनावेदक

पुर्नाविलोकन विरूद्व आदेश दिनांक 20 / 01 / 2016

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर पीठासीन अधिकारी महोदय श्री एम0 के0 सिह सदस्य प्र0क0 R 2351 –चार / 2000 अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि भूमि सर्वे क0 2रकवा 0.662 है0 पटवारी कागजात में शासकीय अंकित होकर विवादित भूमि पर आवेदक का दिनांक 02 / 10 / 1984 के पूर्व से काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है।

2– यह कि आवेदक द्वारा तहसीलदार महोदय गोहद के समक्ष एक आवेदन पत्र म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत विवादित भूमि को अपने नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर व्यवस्थापन हेतु प्रस्तुत किया जो प्र0क0 87 / 91–92× अ / 19 पर पंजीबद्व किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर पारित आदेश दिनांक 30 / 07 / 1992 द्वारा विवादित भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम किया गया।

3– यह कि अनावेदक द्वारा तहसील के आदेश के विरूद्व श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोहद के समक्ष अवधि वाह्य अपील प्रस्तुत की जो प्र0क0 02 / 98–99 अपील पर पंजीबद्व की जाकर पारित आदेश दिनांक 20 / 07 / 1999 द्वारा अनावेदक की अपील को इस आधार पर निरस्त किया कि म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 1013 –एक/2016 पुनरावलोकन जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
19.8.16	यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 2351–चार/2000 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 20 जनवरी, 2016 पर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0 शर्मा एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने पुनरावलोकन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये बताया कि नायव तहसीलदार गोहद ने आदेश दिनांक 30–7–92 से आवेदक के हित में ग्राम मचन की भूमि सर्वे नंबर 2 रकबा 0.663 हैक्टर मात्र लगभग सवा तीन वीघा भूमि दखल रहित नियमों में व्यवस्थापित की है जिसके विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी 2–8–99 को यानि 7 वर्ष के अनुचित विलम्ब से दायर करके व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भूमि व्यवस्थापित होने के वाद आवेदक ने मेहनत करके भूमि को उपजाउ बनाया है और सिंचाई का साधन बनाया है जिसमें उसके काफी रुपये खर्च हो गये है। आवेदक से यह भूमि शासन वापिस लेता है तो आवेदक कृषि श्रमिक होने के कारण बेरोजगार हो जावेगा	

और बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पायेगा।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि नियम विरूद्ध भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध कभी भी निगरानी की जा सकती है काल सीमा की रूकावट नहीं है। आवेदक भूमि व्यवस्थापन के लिये पात्र नहीं है इसलिये कलेक्टर एंव आयुक्त के आदेश सही हैं। राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनॉक 20–1–16 में हस्तक्षेप न करने की मांग रखी गई।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 2351–चार/2000 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 20 जनवरी, 2016 के अवलोकन पर पाया गया कि यह सही है कि नायव तहसीलदार गोहद के आदेश दिनांक 30–7–92 के विरूद्ध कलेक्टर ने 2–8–99 को यानि 07 वर्ष वाद निगरानी प्रकरण दर्ज किया है। प्रताप सिंह तथा एक अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 1997 रा0नि0 219 न्यायमूर्ति श्री एस0एस0झा (हा0को0) का दृष्टांत है कि जमीन पर संबत 2006 से कब्जा होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने 21–4–72 को नाम दर्ज करने के आदेश दिये। कलेक्टर ने 07 वर्ष वाद स्वप्रेरणा से वादी का नाम विलोपित करने का आदेश दिया एंव नाम विलोपित किया गया। न्यायालय व्दारा विलम्ब से पुनरीक्षण को अनुचित मानते हुये वादी के पक्ष में डिकी पारित की। विचाराधीन प्रकरण में आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2016 पारित करते समय अनुचित विलम्ब के तथ्य पर विचार होना दृष्टि ओझल होने

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 1013 -एक/2016 पुनरावलोकन जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.

से पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य पाया गया है क्योंकि कलेक्टर भिण्ड ने नायव तहसीलदार गोहद के आदेश दिनांक 30-7-92 के विरूद्ध 7 वर्ष के अनुचित विलम्ब से निगरानी दायर करके वर्ष 1999 में व्यवस्थापन निरस्त किया है। इसी प्रकार के दृष्टांत लखन तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 1990 रा.नि. 214 तथा संता चमार विरूद्ध ललवा चमार 1990 रा.नि. 90 में हैं।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार, कि भूमि व्यवस्थापित होने के वाद आवेदक ने मेहनत करके भूमि को उपजाउ बनाया है और सिंचाई का साधन कर लिया है जिसमें उसके काफी रूपये खर्च हो गये हैं, पर विचार किया जाय- इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार देवी प्रसाद विरूद्ध नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त । तत्पश्चात् आवन्टन रद्द नहीं किया जा सकता और यही तथ्य आदेश दिनॉक

10 जनवरी, 2016 पारित करते समय दृष्टिओझल रहने से पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 2351–चार/2000 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 20 जनवरी, 2016 तथा आयुक्त,चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क0 1/1999–2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–10–2000, कलेक्टर भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 22/1998–99 निगराजी में पारित आदेश दिनांक 28–9–99 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव नायव तहसीलदार गोहद व्दारा प्रकरण कमांक 87 अ–19/ 1991–92 में पारित आदेश दिनांक 30–7–1992 स्थिर रखा जाता है।

सदस्य